सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी— श्री सतपालसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 2015/87 दायर दिनांक 11.05.2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. रिडमलराम पुत्र मुराराम जाति जाट निवासी सुदरासन तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. सुनील पुत्र स्व0 मोहनराम 2. महेश पुत्र स्व0 मोहनराम 3. कपिल पुत्र स्व0 मोहनराम 4. कमलादेवी पत्नी स्व0 मोहनराम समस्त जाति जाट निवासी सुदरासन हाल निवासी 38 जनकपुरी द्वितीय इमली वाला फाटक वार्ड नम्बर 43 जयपुर तहसील जयपुर 5. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी व बंटवारा
अन्तर्गत धारा— 53, 88 R.T.Act.

उपस्थित :— पक्षकारान

—:: निर्णय ::—

दिनांक 28.06.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा सुदरासन की सरहद में खेत खसरा सं0 514 एकबा 13 बीघा 06 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा सं0 719/514 एकबा 05 बीघा 03 बिस्वा व खसरा सं0 514 एकबा 06 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा सं0 493 एकबा 01 बीघा 16 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा सं0 493 एकबा 18 बिस्वा व खसरा सं0 717/493 एकबा 18 बिस्वा स्थित है। नकल खतौनी वाद के साथ पेश है। वादी का भाई एवं प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 के पिता व पति स्व0 मोहनराम जो डॉक्टर थे उनका स्वर्गवास सन् 2004 में हो गया। मोहनराम के स्वर्गवास हो जाने पर उनकी यादगार स्वरूप प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 द्वारा छतरी का निर्माण किया जो छतरी का निर्माण वादी के बंट में खसरा सं0 719/514 एकबा 05 बीघा 03 बिस्वा में किया गया तब प्रतिवादीगण सं0 01 ता ने वादी से कहा कि डॉक्टर साहब की छतरी बनाने में जितनी जमीन उपयोग में आयेगी उतनी जमीन हम हमारी सामने वाली जमीन (टुकड़ी) खसरा सं0 717/493 में से तुम्हारे नाम करवा देंगे एवं उसके बाद जब सन् 2010 में वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 के आपस में घरेलू जमीन जायदाद के संबंध में लिखपढी (इकरारनामा) लिखा गया जिसमें प्रतिवादीगण सं0 01 ता 03 की माता प्रतिवादीनी सं0 04 कमलादेवी पत्नी स्व0 डॉक्टर मोहनराम ने इकरार किया कि डॉक्टर साहब की छतरी बनाने में जितनी जमीन वादी की गई है उतनी जमीन टुकड़ियों में दे दी है एवं प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 ने अपने खसरा सं0 717/493 (टुकड़ी) में से पश्चिमी हिस्सा की जमीन नाप कर कब्जा वादी को सुपुर्द कर दिया। वादी के भाई एवं प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 के पति व पिता डॉक्टर स्व0 मोहनराम की छतरी वादी के बंट के खसरा सं0 719/514 एकबा 05 बीघा 03 बिस्वा में बनाई गई है। जिस छतरी में वादी की एकबा 02 बिस्वा भूमि उपयोग में ली हुई है वादी द्वारा प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 को कई बार छतरी की जमीन के ऐवज में खसरा सं0 717/493 में से 02 बिस्वा जमीन दी गई जमीन वादी के नाम कराने को कहा मगर प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 टालम टोल करते रहे एवं आज तक उक्त जमीन

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2015/57
दायर दिनांक 11.05.2015, निर्णय दिनांक 28.06.2017
रिडमलराम बनाम सुनिल वगैरा।

वादी के नाम नहीं करवाई है। मुतनाजा जमीन बस स्टेण्ड सुद्रासन के पास आई हुई है एवं वर्तमान में जमीन की कीमते बढ जाने के कारण अब प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 की नियत खराब हो गई है। उक्त जमीन पर वादी पिछले 12 वर्षो से अधिक समय से काबिज है।

प्रार्थना वादीगण है कि वाके सरहद सुद्रासन के खसरा सं0 717/493 रकबा 18 बिस्वा में से रकबा 02 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 को उक्त जमीन पर भविष्य में किसी प्रकार की दखल अंदाजी, हस्तक्षेप, बेचान, उपयोग व उपभोग में बाधा रूकावट आदि न तो स्वयं करें तथा न ही अन्य ऐजेन्ट से करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण सं0 01 ता 05 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 01 ता 04 की तरफ से वकील श्री चेनाराम थोरी ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण सं0 05 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वादी ने आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमती शमीम बानों पत्नी नवाब खां, श्रीमती जुबेदा पत्नी ईशाक, श्रीमती मदीना बानों पत्नी सतार खां व श्रीमती मोबिना बानों पत्नी रहमान खां को जरिये रजिस्ट्री खरीद शुदा पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार की जमीन का बेचान नहीं किया है तथा बेचान बाबत वादी ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया है तथा न ही प्रार्थना पत्र क समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। बहस उभय पक्ष सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र सारहीन व आधारहीन होने से खारीज किया जाता है।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट नुवां में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। मजमें आम में प्रकरण की जानकारी ली गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। अतः बाद विवचेन, पक्षकारान् के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद सुद्रासन के खसरा सं0 717/493 रकबा 18 बिस्वा में से 02 बिस्वा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **28.06.2017** को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प नुवां में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2015/57

दायर दिनांक 11.05.2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. रिडमलराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी सुद्रासन तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सुनिल पुत्र स्व0 मोहनराम 2. महेश पुत्र स्व0 मोहनराम 3. कपिल पुत्र स्व0 मोहनराम 4. कमलादेवी पत्नी स्व0 मोहनराम समस्त जाति जाट निवासी सुद्रासन हाल निवासी 38 जनकपुरी द्वितीय इमली वाला फाटक वार्ड नम्बर 43 जयपुर तहसील जयपुर 5. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व बंटवारा
अन्तर्गत धारा– 53, 88 R.T.Act.

दिनांक 28.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद सुद्रासन के खसरा सं0 717/493 रकबा 18 बिस्वा में से 02 बिस्वा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत....................–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 28.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 कैम्प कोर्ट नुवां में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner